तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **मोहनलाल जोशी बनाम लो.सू.अ. (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर** **सू.अ.अ. अपील संख्या 147 / 2020**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.09.20	अपीलार्थी मोहनलाल जोशी एडवोकेट, पता मुनी महाराज के मंदिर के पीछे, मानसागर भीलबस्ती, महामंदिर जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.08..20 में उसके द्वारा (1) उच्च प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों द्वारा संस्था प्रधान की स्वीकृति के बिना कार्यालय / राजकीय रिकॉर्ड के कांट–छांट अथवा संस्थाप्रधान की स्वीकृति बिना रिकॉर्ड में कोई मनचाहा अंकन किया जाता है, तो उस दोषी कार्मिक के विरूद्ध जिस नियम के तहत कार्यवाही की जानी है, उस नियम की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) से जरिये पत्रांक 9468 दिनांक 21.09.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, शिक्षा विभाग जोधपुर कार्यालय से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत कार्यालय के पत्रांक / जिपजो / सू.अ. –2005 / 2020 / 9329 दिनांक 03.09.20 के जरिये अंतरित कर दिया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के तहत संबंधित विभाग को स्थानान्तरित करते हुए प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचनार्थ पत्रांक 9330 दिनांक 03.09.20 जारी किया गया। चूंकि लोक सूचना अधिकारी शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, शिक्षा विभाग जोधपुर का प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर जोधपुर नहीं होने से यहः अपील निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, शिक्षा विभाग जोधपुर द्वारा सूचना नहीं दी गई है तो उनके प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करे। उपरोक्तानुसार अपील निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Ind
Date: 2020.10.20 12:55:53 IST
Reason: SelfAttested